


-: आदेश :-

उपरोक्त प्रार्थियों ने भेरे राग्वक्ष अपरिचित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया है एवं इस दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। उप तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। तब्त दुरस्ती वस्तुतः लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्दाज दुरस्ती परस्पर सहमति से किये जाने हेतु प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है तथा अभिलेख को आधार पर भी तब्त इन्दाज दुरस्ती राजस्व अभिलेख में होने योग्य है। अतः निम्नलिखित इन्दाज दुरस्ती किये जाने को आदेश दिये जाते हैं :-

पूर्व इन्दाज					रवीकृत किया गया इन्दाज		
1	2	3	4	5	6	7	8
ग्राम का नाम	खाता संख्या	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा
बकसावा	136	भागीरथ सिंह पुत्र अन-ह सिंह दि. ०५/८५ जाति राजपूत भागीरथ सिंह पुत्र अन-ह सिंह दि. ०५/८५ जाति राजपूत	269	3.43	भागीरथ सिंह पुत्र अ-ह सिंह दि. ०५/८५ जाति राजपूत	269	3.43


शिविर प्रभारी

(अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना)


क्रमांक :-

869
12.11.21

दिनांक :-

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

1. उप तहसीलदार, मौलासर


शिविर प्रभारी


(अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना)

क्रमांक :-

दिनांक :-

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

1. पटवार हल्का बकसावा को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो निर्णयानुसार पालना सुनिश्चित करें।


उप तहसीलदार, मौलासर